

6

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/आर-72/2026- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० अमित कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खैरा, जमुई के दिनांक-20.07.2020 से 19.07.2023 तक अध्ययन अवधि तथा दिनांक-16.10.2025 से 30.12.2025 तक प्रभार रहित अवधि को निम्न रूप में स्वीकृत किया जाता है:-

i	दिनांक-20.07.2020 से 19.07.2023 तक (कुल-750 दिन)	-	अध्ययन अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में। (विभागीय अधिसूचना संख्या-2045(2) दिनांक-30.11.2011 के आलोक में)
2.	दिनांक-16.10.2025 से 30.12.2025 तक (कुल-51 दिन)		
ii.	दिनांक-16.10.2025 से 26.12.2025 तक	-	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय में)।
iii.	दिनांक-27.12.2025 से 30.12.2025 तक	-	पदग्रहण काल के रूप में।

2. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(राजीव रंजन)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-2/आर-72/2026-

1917(2)

पटना, दिनांक 7/8/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (पै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जमुई/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खैरा, जमुई/कोषागार पदाधिकारी, जमुई/डा० अमित कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खैरा, जमुई/प्रशाखा-3, 9A, 9B, 17 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव